

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मोनिर्योग्योल-गुमची-भनार-भूमियागाड़-धार की टोली-सब्जी-भैंसखाल-भोलाथल मोटर मार्ग निर्माण।

परियोजना का औचित्य

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 872/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 6099/111(2)/16-13(मु.म.घो.)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के अन्तर्गत मोनिर्योग्योल-गुमची-भनार-भूमियागाड़-धार की टोली-सब्जी-भैंसखाल-भोलाथल मोटर मार्ग निर्माण 15.00 कि.मी. लम्बाई हेतु रु0 212.10 लाख की (प्रथम चरण-यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग वास्तविक सर्वे के अनुसार लम्बाई 7.50 किमी0 आती है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर का लगभग 20 किमी0 में फैला ग्राम पंचायत वज्यूला एवं अयारतोली क्षेत्र दूरस्थ में होने से यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम पंचायत अयारतोली एवं वज्यूला की 2011 की गणना के अनुसार कुल (जनसंख्या 2170) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। ग्राम वज्यूमला एवं अयारतोली में प्राइमरी विद्यालय, बैंक, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य राजकीय इकाई कार्यालय हैं, आने जाने की कठिनाई के कारण कोई भी अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी योगदान नहीं करना चाहते जिससे प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय का मुख्य केन्द्र बैजनाथ हैं। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 4.259 हे0 वन भूमि एवं विभिन्न प्रजाति एवं व्यास के कुल 138 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चौड़ बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चौड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रांतीय खड, लो0नि0वि0
जनपद बागेश्वर

प्रजातीय वनाधिकारी
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रांतीय खड, लो0नि0वि0
जनपद बागेश्वर